

## प्रेस नोट दिनांक-07.03.2023

- (1). पपीता के पेड़ लगाने का झांसा देकर किसानों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह का एक अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से ठगी के 01 लाख 77 हजार 500 रूपये, 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा पपीता के पेड़ लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी (ठगी) करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 लाख 77 हजार 500 रूपये व 01 अदद मोटरसाइकिल नम्बर प्लेट फर्जी बरामद किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि रामनरेश त्रिवेदी पुत्र शिवप्रसाद निवासी पुरवा तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि 1. अनिल कुमार पाठक पुत्र रामनारायन 2. प्रवीण पाठक पुत्र कन्हैयालाल 3. विपिन कुमार पाठक पुत्र कन्हैयालाल निवासीगण मसापुर शिवगढ़ जनपद रायबरेली 4. अमित पाण्डेय 5. पवन तिवारी 6. संतोष कुमार मिलकर खेत में पपीते का पेड़ लगाने का झांसा देकर रूपया ले लिए है और अन्य किसानों के खेत में पपीता के पेड़ लगाने का झांसा देकर लगभग 06 लाख रूपये प्रति बीघा प्रतिमाह का लालच देकर ठगी कर लिए है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 139/2023 धारा 419,420,406 भादवि0 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को निर्देश दिये गये। इसी क्रम में निरीक्षक अपराध कोतवाली कर्वी श्री प्रभूनाथ यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। पुलिस टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थी कि मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक-07.03.2023 को शिवरामपुर तिराहा कर्वी बांदा मार्ग से अभियुक्त अनिल कुमार पाठक पुत्र रामनारायन निवासी मसापुर थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 लाख 77 हजार 500 रूपये व एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे सिलेटी रंग जिसमें फर्जी नम्बर प्लेट UP33 AP 1299 लगी हुई है बरामद की गयी। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग किसानों से पपीते का पेड़ लगाने और उससे अत्याधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी करते हैं। किसानों को झांसा देने के लिए मोटरसाइकिल में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर ठगी करते हैं ताकि हम लोग पकड़े न जा सकें। दिनांक-21.02.2023 को ग्राम पुरवा तरौहा में रामनरेश त्रिवेदी से कुल 82500 रूपये नगद ठगी किए थे तथा ग्राम सपहा निवासी सोमदत्त से नगद 35000 रूपये व मानसिंह से 60 हजार रूपये की ठगी किये थे तथा बताया कि मेरे साथी 1. प्रवीण पाठक पुत्र कन्हैयालाल 2. विपिन कुमार पाठक पुत्र कन्हैयालाल निवासीगण मसापुर शिवगढ़ जनपद रायबरेली 3. अनुज पाण्डेय पुत्र अज्ञात निवासी चक्खापार थाना अमावा जनपद रायबरेली 4. पवन तिवारी पुत्र अज्ञात निवासी सैनी कौशाम्बी 5. संतोष कुमार मसापुर शिवगढ़ जनपद रायबरेली हम सब लोग मिलकर ग्राम पुरवा तरौहा ग्राम सपहा व

थाना कोतवाली क्षेत्र के किसानों से ठगी करते थे। कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2023 में धारा 467,468,471,411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अनिल कुमार पाठक पुत्र रामनारायन निवासी मसापुर थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली

### बरामदगी:-

ठगी किये 01 लाख 77 हजार 500 रूपये

एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे

### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक अपराध श्री प्रभूनाथ यादव थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार प्रधान
3. उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद
4. आरक्षी गोलू भार्गव
5. आरक्षी अमित द्विवेदी
6. आरक्षी रोशन सिंह
7. आरक्षी वीर पाल सिंह

## (2) युवक के अपहरण की घटना का सफल अनावरण

एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 04 पहिया वाहन बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी रगौली एवं उनकी टीम द्वारा युवक के अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी कल्याण सागर सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार ब्रेजा रजि0नं0 UP95 Q 4222 सफेद रंग को बरामद किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक 14.02.2023 को शम्भूशरण गुप्ता पुत्र कल्लू गुप्ता निवासी शारदा नगर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पुत्र नमो नारायण का अपहरण करने के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 91/2023 धारा 364 भादवि0 बनाम एक व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चौकी प्रभारी रगौली श्री श्याम देव सिंह को निर्देश दिये गये थे। पुलिस टीम घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयासरत थी कि आज दिनांक-07.03.2023 को उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह तथा उनकी टीम द्वारा घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त आकाश गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी कल्याण सागर सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर महोबा को

गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा गाड़ी ब्रेजा UP95 Q 4222 सियाराम चक्रवर्ती पुत्र बिहारीलाल प्रजापति निवासी गांधीनगर कोतवाली नगर महोबा की है जिसको अभियुक्त आकाश गुप्ता किराये पर लाया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-14.02.2023 को रात्रि करीब 10 बजे नमो नारायण गुप्ता पुत्र शम्भूशरण गुप्ता निवासी शारदा नगर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को अजय द्विवेदी उर्फ छोटू महाराज पुत्र बालेन्द्र द्विवेदी निवासी रतौली पसवारा थाना कोतवाली नगर महोबा ने फोन करके नवीन मण्डी पश्चिमी गेट कर्वी के पास बुलाया जो पूर्व में परिचित था। अजय द्विवेदी एवं आकाश गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता, अमर सिंह पुत्र वीरपाल सिंह ने मिलकर शराब का सेवन किया एवं ब्रेजा गाड़ी UP95 Q 4222 से नमो नारायण उपरोक्त को साथ लेकर कबरई महोबा के जंगल में ले जाकर नमो नारायण का हाथ पैर बांधकर के उसका पर्स जिसमें कुछ रूपया, डीएल, एटीएम, पैनकार्ड सब लेकर भाग गये थे तथा अपहृत नमोनारायण उपरोक्त दिनांक 15.02.2023 को बरामद कर लिया गया था।

### गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरण-

आकाश गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी कल्याण सागर सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर महोबा

### बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त कार ब्रेजा रजि0नं0 UP95 Q 4222 सफेद रंग

### बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री श्यामदेव सिंह चौकी प्रभारी रगौली जिला कारागार
2. मुख्य आरक्षी सुभाषराम
3. आरक्षी बहोरन यादव

(3). आज दिनांक-07.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). आज दिनांक-07.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा,

1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(5). चौकी सीतापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए लगभग 70 क्विंटल लहन, 12 अदद भट्टी व 40 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नष्ट की गयी।

होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंदाकिनी नदी के किनारे दबिश देकर भारी मात्रा में लगभग 7000 किग्रा, 40 लीटर कच्ची शराब तथा 12 अदद भट्टी को बरामद कर नष्ट किया गया।

(i). उपजिलाधिकारी सदर कर्वी के नेतृत्व में थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कपसेठी व भैरोपागा मे मंदाकिनी नदी के किनारे पुलिस, प्रशासन व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार कर्वी की उपस्थिति में दबिश दी गई दबिश के दौरान आबकारी निरीक्षक प्रफुल्ल सिंह, कृष्ण कुमार मिश्रा, सीतापुर चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह व हमराहीगण द्वारा गहन तलाशी ली गई तलाशी में कुल 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी एवं लगभग 6500 किग्रा लहन मौके पर नष्ट किया गया तथा 05 कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया।

(ii). चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी कुलदीप द्विवेदी, आरक्षी दीपक श्रीवास्तव, आरक्षी शुभम शर्मा, आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह चौकी सीतापुर अन्तर्गत ग्राम कपसेठी में मंदाकिनी नदी के किनारे दबिश दी गयी, दबिश के दौरान लगभग 500/- कि0ग्रा0 लहन मौके पर नष्ट किया गया, मौके से लगभग 05 ली0 कच्ची शराब बरामद की गयी व 07 कच्ची शराब बनाने की भट्टियों व शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया। गांव वालों को अवैध शराब निर्माण न करने के संबंध में सख्त से सख्त हिदायत दी गई तथा पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की बात बताई गई।

(6). आज दिनांक-07.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में यातायात निरीक्षक श्री मनोज कुमार एवं टीएसआई श्री योगेश कुमार यादव मय टीम के कर्वी बांदा रोड पर शिवरामपुर के आगे 02/04 पहिया एवं ई-रिक्शा/टैम्पो वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, 03 सवारी, ओवरलोड, ओवरस्पीड बिना हाईसिक््योरिटी नम्बर प्लेट वाहनों की चेकिंग की गयी। टीएसआई द्वारा ई-रिक्शा एवं टैम्पो चालकों को हिदायत दी गयी कि ओवरलोड सवारी

न बैठाये एवं गाड़ी में लाउड स्पीकर बिल्कुल न लगाये तेज गति से वाहन न चलाए एवं पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें तथा यातायात नियमों का पालन करें तथा शराब पीकर वाहन न चलाए । वाहन चलाने समय मोबाइल फोन/ईयरफोन का प्रयोग न करें तथा वाहनों में हाई सिक्क्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने हेतु भी बताया गया । चेकिंग के दौरान माल वाहक वाहनो को भी चेक किया गया तथा वाहन चालकों को हिदायत दी गयी कि मालवाहक वाहनों में सवारी न बैठालें । चेकिंग के दौरान 03 सवारी, बिना हेलमेट, ओवरस्पीड, बिना नम्बर प्लेट तथा मालवाहन वाहन जिसमें सवारी बैठी पायी गयी पेण्डिंग ई-चालान किया गया ।

कल दिनांक-06.03.2023 की रात्रि में यातायात निरीक्षक श्रीमनोज कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा पुरानी कोतवाली चौराहा एवं बेड़ी पुलिया तिराहा पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की चेकिंग ब्रेथ एनलाइजर से की गयी तथा वाहन चालको को शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक किया गया ।

यातायात पुलिस टीम में 30नि0(यातायात) श्री शैलेन्द्र सिंह एवं आरक्षी यातायात देवेन्द्र राजपूत, आरक्षी यातायात नौशाद खां रहे ।

(7). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-03 मानिकपुर श्री राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री/परिवहन की रोकथाम हेतु थाना रैपुरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवकली, भौरी, पैकोरामाफी, अगरहुड़ा, उड़कीमाफी में दबिश/चेकिंग की गयी । इस दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम उड़की माफी थाना रैपुरा से अभियुक्त नानबाबू पुत्र स्वर्गीय भवानीदीन निवासी ग्राम उड़की माफी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब महुआ निर्मित तथा 02 किलोग्राम यूरिया अपमिश्रण सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम ल धारा 272,273 भादवि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

**बरामदगी:-**

20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब एवं 02 किलोग्राम यूरिया(अपमिश्रण सामग्री)

**बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय
2. उपनिरीक्षक श्री चुन्नी लाल वर्मा
3. आरक्षी नंदलाल
4. मुख्य आरक्षी राकेश कुमार
5. महिला आरक्षी हर्षिता

## 6. महिला आरक्षी संध्या

### आबकारी टीम:-

1. आबकारी निरीक्षक श्री राज किशोर सिंह क्षेत्र 3 मानिकपुर
2. आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा क्षेत्र 2 मऊ
3. आबकारी निरीक्षक नीरज वर्मा क्षेत्र 4 राजापुर
4. आबकारी आरक्षी लाला राम वर्मा क्षेत्र 3 मानिकपुर
5. आबकारी प्रधान आरक्षी मनोज कुमार पाण्डेय

(8). आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 05 अभियुक्त को 347 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उपनिरीक्षक श्री कन्हैयालाल पांडेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बाला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र चिंतामणि त्रिपाठी निवासी मोहल्ला तिलक नगर कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा को अवैध 210 क्वार्टर देसी शराब ठेका के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री इमरान खान तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मुन्ना कोल पुत्र स्व0 शिव प्रसाद कोल निवासी नई बस्ती टिटिहरा रोड अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर ठेका देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोरेलाल पुत्र बिंदा प्रसाद निवासी पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 30 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(iv). चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राजोल नागर एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राकेश कपाडिया पुत्र रामेश कपाडिया निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी को 57 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(v). उ0नि0 श्री हारुन राशिद खां एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बरातीलाल पुत्र मोतीलाल निवासी कल्याणपुर थाना मानिकपुर को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(9). होली त्यौहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राजोल नागर एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामनमिलन कपाडिया पुत्र कल्लू कपाडिया निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी को 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

01 किलो 400 ग्राम गांजा

**बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री राजोल नागर
2. आरक्षी श्यामू
3. आरक्षी अमित तिवारी